फाइल नं0-71-3002(002)/19/2024-03

33/2025/।/903617/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-3 के मेडिकल कालेज, कौशाम्बी, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा बुलन्दशहर हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी के पत्र संख्या-स्व0रा0चि0महा0/कौशाम्बी/गैर-वेतन/आवंटन/2024-25/2152, दिनॉक 15.02.2025, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, औरैया के पत्र संख्या-2594-04-ए0एस0एम0सी0/बजट/2024-25, दिनॉक 17.02.2025, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा के पत्र संख्या-4810-3/ए0एस0एम0सी0/बजट/2024-25, दिनॉक 15.02.2025, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली के पत्र संख्या-मेडि0का0चन्दौली/बजट/मांगपत्र/2024-25/953, दिनॉक 15.02.2025, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर के पत्र संख्या-प्रधा0/म0वि0स्व0रा0चि0महा0बिजनौर/लेखा/24-25/336, दिनॉक 29.01.2025, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-स्व0रा0चि0म0ल0खी0/बजट मांग/2024-25/1844, दिनॉक 14.02.2025 तथा प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर के पत्र संख्या-के0एस0जी0एम0सी0/बु0शहर/2024-25/2455, दिनॉक 20.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा फेज-3 के मेडिकल कालेज, कौशाम्बी, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा बुलन्दशहर हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा बुलन्दशहर हेतु गैर वेतन मद में निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल अवमुक्त धनराशि
1	मेडिकल कालेज, कौशाम्बी	शासनादेश दिनॉक 05.04.2024 द्वारा रू0 297.61 लाख तथा	शासनादेश दिनॉक 13.08.2024 द्वारा	892.84 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		शासनादेश दिनॉक 13.08.2024 द्वारा रू0 148.81 लाख की धनराशि अवमुक्त।	रू0 446.42 लाख की धनराशि अवमुक्त।	
2	मेडिकल कालेज, औरैया	शासनादेश दिनॉक 05.04.2024 द्वारा रू0 297.61 लाख तथा शासनादेश दिनॉक 18.11.2024 द्वारा रू0 148.81 लाख की धनराशि अवमुक्त।	शासनादेश दिनॉक 18.11.2024 द्वारा रू0 446.42 लाख की धनराशि अवमुक्त।	892.84 लाख
3	मेडिकल कालेज, गोण्डा	शासनादेश दिनॉक 05.04.2024 द्वारा रू0 297.61 लाख तथा शासनादेश दिनॉक 09.12.2024 द्वारा रू0 148.81 लाख की धनराशि अवमुक्त।	शासनादेश दिनॉक 09.12.2024 द्वारा रू0 446.42 लाख की धनराशि अवमुक्त।	892.84 लाख
4	मेडिकल कालेज, चन्दौली	शासनादेश दिनॉक 05.04.2024 द्वारा रू0 297.61 लाख की धनराशि अवमुक्त	-----	297.61 लाख
5	मेडिकल कालेज, बिजनौर	शासनादेश दिनॉक 05.04.2024 द्वारा रू0 297.61 लाख तथा शासनादेश दिनॉक 13.08.2024 द्वारा रू0 148.81 लाख की धनराशि अवमुक्त।	शासनादेश दिनॉक 13.08.2024 द्वारा रू0 446.42 लाख की धनराशि अवमुक्त।	892.84 लाख
6	मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी	शासनादेश दिनॉक 05.04.2024 द्वारा रू0 297.61 लाख तथा शासनादेश दिनॉक 14.11.2024 द्वारा रू0 148.81 लाख की धनराशि अवमुक्त।	शासनादेश दिनॉक 14.11.2024 द्वारा रू0 446.42 लाख की धनराशि अवमुक्त।	892.84 लाख
7	मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर	शासनादेश दिनॉक 05.04.2024 द्वारा रू0 297.61 लाख तथा शासनादेश दिनॉक 18.11.2024 द्वारा रू0 148.81 लाख की धनराशि अवमुक्त।	शासनादेश दिनॉक 18.11.2024 द्वारा रू0 446.42 लाख की धनराशि अवमुक्त।	892.84 लाख

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फेज-3 के 14 मेडिकल कालेजों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक '2210-05-105-03-93' फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 25000.00 लाख के सापेक्ष निम्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विवरणानुसार कुल रू0 3273.75 लाख **(रू0 बत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मेडिकल कालेज का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि			
			प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि	तृतीय किश्त की धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मेडिकल कालेज, कौशाम्बी	1785.71	00	00	446.42	446.42
2	मेडिकल कालेज, औरैया	1785.71	00	00	446.42	446.42
3	मेडिकल कालेज, गोण्डा	1785.71	00	00	446.42	446.42
4	मेडिकल कालेज, चन्दौली	1785.71	148.81	446.42	00	595.23
5	मेडिकल कालेज, बिजनौर	1785.71	00	00	446.42	446.42
6	मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी	1785.71	00	00	446.42	446.42
7	मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर	1785.71	00	00	446.42	446.42
	कुल योग-	**12499.97**	**148.81**	**446.42**	**2678.52**	**3273.75**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध</u>

1- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231 /2024, दिनांक 19.06.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,73,75,000 (रुपये बत्तीस करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखाशीर्षक** 2210051050393 फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन **मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-423/दस-2024-25, दिनॉक 10 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा बुलन्दशहर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा बुलन्दशहर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कौशाम्बी, औरैया, गोण्डा, चन्दौली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा बुलन्दशहर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।